



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276514
CG-DL-E-25092026-276514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 575]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

फा.सं. सीएमए (1) 2026.— दिनांक 1 फरवरी, 2019 को या उसके बाद अपना प्रेक्टिस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रेक्टिस कर रहे लागत लेखाकारों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी) के कार्यान्वयन के संबंध में 20 और 28 सितंबर, 2018 को आयोजित 315वीं बैठक में परिषद द्वारा लिए गए निर्णय और 1 फरवरी, 2019 तथा 8 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परिणामी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन करते हुए परिषद ने 21 जुलाई, 2026 को आयोजित अपनी 369वीं बैठक में यह संकल्प लिया है कि उपर्युक्त अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी) लेने की आवश्यकता इसके बाद वैकल्पिक होगी।

सीएमए (डॉ.) डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यकारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./344/2026-27]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2026

F. No. CMA (1) 2026.— In partial modification of the decision taken by the Council at its 315th Meeting held on 20th and 28th September, 2018, and the consequential notifications published in the Gazette of India on 1st February, 2019 and 8th March, 2019, regarding implementation of the Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for practicing Cost Accountants who obtained their Certificate of Practice on or after 1st February, 2019, the Council, at its 369th Meeting held on 21st July, 2026, has resolved that the requirement of undergoing the said Mandatory Capacity Building Training (MCBT) shall henceforth be **optional**.

CMA (DR.) D. P. NANDY, Secy. (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./344/2026-27]